

## फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत—उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला शाहपुरा

सत्यनारायण पुत्र सोहनलाल धाकड निवासी काछोला, वगैरह

बनाम

प्रेमदेवी पत्नि गोपाल धाकड निवासी काछोला, वगैरह

किस्म मुकदमा प्रा. पत्र 111,128 एल.आर.ए

मुकदमा नंबर 286/2024

| तारीख हुकम | हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज   | नम्बर व तारीख अहकाम जो हुकम की तारीख में जारी हुवे |
|------------|---|--|
| 13/05/2024 | <p>प्रार्थना पत्र सिगे से बाद जांच रिपोर्ट पेश हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी ने जरिये अभिभाशक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि में ग्राम काछोला प.ह. काछोला आराजी सं. 2080, 2082, 2083, 2088, 3479/2090, 3481/2095, 3483/2096, 3485/2097 कुल किता 08 रकबा 0.7203 हैक्टेयर भूमि स्थित है। अप्रार्थीगण उक्त वर्णित कृषि आराजी के पडौसी है। अप्रार्थीगण से सीमा विवाद होने के कारण पत्थरगढी करवाने जाने की आवश्यकता है, अतः उक्त आराजी की पत्थरगढी के आदेश प्रदान किये जावें। प्रार्थना पत्र की ताईद में प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है।</p> <p>मैंने पत्रावली का अवलोकन किया सुयोग्य अभिभाशक/प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी। पत्रावली के साथ संलग्न नकल जमाबंदी संवत 2075 से 2078 तक के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी पत्थरगढी हेतु आवेदन की गई भूमि का खातेदार है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के साथ सीमा विवाद होना बताया है, अतः न्यायलय पत्थरगढी किया जाना उचित समझता है। ग्राम काछोला प.ह. काछोला आराजी सं. 2080, 2082, 2083, 2088, 3479/2090, 3481/2095, 3483/2096, 3485/2097 कुल किता 08 रकबा 0.7203 हैक्टेयर भूमि की उभयपक्षों की उपस्थिती में पत्थरगढी करने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक काछोला को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर फीस 500 रुपये तय किए जाते हैं जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रु राजकोश में जमा करावे। पत्थरगढी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावे। पालना हेतु तहसीदार काछोला को लिखा जावे। तहसीलदार काछोला को प्रतिवादीगणों को जरिये नोटिस /समन भेजकर उभयपक्ष की उपस्थित में पत्थरगढी के आदेश दिये जाते हैं। पालना रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करें।</p> <p>आदेश आज दिनांक 13/05/2024 को खुलं न्यायालय में सुनाया गया।</p> |  |

उपखण्ड अधिकारी  
जहाजपुर जिला शाहपुरा

## कार्यालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला शाहपुरा

कमांक/रीडर/2024/286/2024

दिनांक- 13/05/2024

निमित्त-

तहसीलदार काछोला

विषय:- प्र.स. 286/2024 अनवान सत्यनारायण पुत्र सोहनलाल धाकड निवासी काछोला, सोहनलाल दत्तक पुत्र काना धाकड निवासी काछोला बनाम प्रेमदेवी पत्नि गोपाल धाकड निवासी काछोला, छोदू पिता बगता धाकड निवासी काछोला, सुवा पिता बगताधाकड निवासी काछोला, बंशीलाल पिता रामकरण धाकड निवासी काछोला, लादु पिता बरदा धाकड निवासी काछोला, तहसीलदार काछोला वगैरह की पत्थरगढी की पालना बाबत।

उपरोक्त विषयांकित उनवान के प्रकरण में ग्राम काछोला प.ह. काछोला आराजी सं. 2080, 2082, 2083, 2088, 3479/2090, 3481/2095, 3483/2096, 3485/2097 कुल किता 08 रकबा 0.7203 हैक्टेयर भूमि की उभयपक्षों की उपस्थिति में पत्थरगढी करने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक काछोला को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर फीस 500 रुपये तय किए जाते हैं जो प्रार्थी नौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रुपये राजकोश में जमा करावे। पत्थरगढी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावे। तहसीलदार काछोला को प्रतिवादीगणों को जरिये नोटिस/समन भेजकर उभयपक्ष की उपस्थिति में पत्थरगढी के आदेश दिये जाते हैं। पालना रिपोर्ट 15 योम में पेश करे।

उपखण्ड अधिकारी  
जहाजपुर जिला शाहपुरा